संख्या–12/XXXVI(2)/24/08(बजट)/2021

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2025

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के संगत लेखाशीर्षक के कतिपय मानक मदों में कम पड़ रही धनराशि के क्रम में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–05/उ0लो0से0अधि0/लेखा–III/2025, दिनांक 03 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–4 के लेखाशीषक–2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–04–उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के कतिपय मानक मदों में कम पड़ रही धनराशि के दृष्टिगत निम्नलिखित तालिकानुसार कुल **रू0 15,00,000/– (रूपया पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग (**संलग्न बी0एम0–09 के अनुरूप**) के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	**मानक मद जिससे पुनर्विनियोग किया जा रहा है।**	**धनराशि**	**मनक मद जिसमें पुनर्विनियोग किया जा रहा है।**	**धनराशि**
1	51–मजदूरी	15,00,000	08–पारिश्रमिक	6,50,000
			22–कार्यालय व्यय	50,000
			26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	6,00,000
			29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	2,00,000
	कुल योग	**15,00,000**	**कुल योग**	**15,00,000**

1. पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत उपरोक्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जाय, जिस हेतु धनराशि की स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, व सुसंगत नियमों एवं अन्य मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेश व तद्विषयक अन्य आदेशो/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
6. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बज़ट या भारत सरकार द्वारा आवंटित/स्वीकृत की गयी है तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/9(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा–मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
10. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि नियमानुसार समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। किसी भी दशा में अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत समायोजन व्यय, अतिरिक्त व्यय भार हेतु आरक्षित नहीं की जायेगी।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के लेखाशीर्षक–2014–00–800–अन्य व्यय–04–उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरणके सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त धनराशि वित्त विभाग के अशा0 संख्या–266759/2024, दिनांक 08 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुसार संलग्न पुनर्विनियोग अलोटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा किया गया है।

(एलोटमेन्ट आई०डी०)
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 10-01-2025 12:42:01

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 10-01-2025 12:56:57

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।